राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांकः–स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3364 /2023 दिनांक : 17 .11.2023

श्रीमती मेघना व्यास (RJ01036), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड कम–01, जयपुर महानगर–I को दिनांक 28.11.2023 से 25.05.2024 तक ***180*** दिवस का ***मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान)*** दिनांक 25.11.2023 से 27.11.2023 एवं 26.05.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री अभिषेक कुमार (RJ00875), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड कम–02, जयपुर जिला, जयपुर को श्रीमती मेघना व्यास के उक्त ***मातृत्व अवकाश*** की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ–साथ प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड कम–01, जयपुर महानगर–I के पद का ***अतिरिक्त कार्यभार*** सम्पादित किये जाने हेतु एतद्द्वारा ***पदस्थापित/नियुक्त*** कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:–

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्व निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
2. **श्री अभिषेक कुमार** (RJ00875), जिनको अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,

16.11.2023

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांकः–स्था.बी.2 (4)/24/2016/ 7297 दिनांक.17 .11.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–I को उनके पत्रांक 4381 दिनांक 26.10.2023 के सन्दर्भ में ।
3. **श्रीमती मेघना व्यास** (RJ01036), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड कम–01, जयपुर महानगर–I
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड कम–01, जयपुर महानगर–I
5. **श्री अभिषेक कुमार** (RJ00875), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड कम–02, जयपुर जिला, जयपुर।
6. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड कम–02, जयपुर जिला, जयपुर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण–पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

17/11/23

सहायक रजिस्ट्रार